ए.

अजय गुप्ता बनाम.

प्रमोद कुमार शर्मा (2022 की सिविल अपील संख्या 1385) 25 फरवरी, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:धारा 62-अपीलार्थी निगमित ऋणी के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में समाधान आवेदकों में से एक था-प्रस्तुत समाधान योजना पर अपीलार्थी, अन्य आवेदक और ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.) के बीच विचार-विमर्श हुआ और जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी और अन्य आवेदक को इस प्रकार प्रस्तुत समाधान योजना से दोषों को दूर करने के लिए कहा गया-अपीलार्थी ने समाधान योजना में संशोधन/संशोधन का प्रस्ताव रखा लेकिन समाधान पेशेवर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया-इससे नाराज होकर, अपीलार्थी ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क किया, जिसने समाधान योजना में संशोधन के लिए अपीलार्थी के अनुरोध की अनुमति दी, लेकिन साथ ही, समान अवसर प्रदान करने के लिए, अन्य समाधान आवेदक को भी करने की अनुमति दी।संशोधन की अनुमति स्वयं अपीलार्थी के अनुरोध पर दी गई थी, इसलिए समता का न्यायनिर्णयन करना, ताकि समान अवसर प्रदान किया जा सके, अन्य समाधान आवेदक को सी. ओ. सी. के विचार के लिए अपने संशोधन को रखने की अनुमति देने के लिए उचित था-चूंकि अपीलार्थी ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अपनी समाधान योजना की शर्तों का खुलासा करने का विकल्प चुना था, इसलिए समाधान पेशेवर या सी. ओ. सी. या अन्य समाधान आवेदक की ओर से कोई गलती नहीं थी-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित और सही प्रतीत हुआ, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया।

जी.

एच.

196

197

अजय गुप्ता बनाम प्रमोद कुमार शर्मा ए

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 1385।

2022 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.35 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांकित 13.01.2022 के निर्णय और आदेश से।

नकुल दीवान, सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, शिखर खरे, मेसर्स किंग्स एंड अलायंस एलएलपी, नीलोत्पल श्याम, गौरव श्रीवास्तव, सुधांशु प्रकाश, श्रीमती बबीता जैन, सुश्री आरुषि सिंह, आदित्य सिंह, महेश ठाकुर, सुश्री शैलजा दास, अभिषेक कुमार, आशुतोष कुमार शर्मा, प्रचेता कर, आदित्य सिद्धरा, नदीम अफरोज, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.**

अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को पर्याप्त समय तक सुनने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हम दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 62 के तहत इस अपील पर विचार करने के लिए राजी नहीं हैं।

अपीलार्थी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 की कंपनी अपील (ए. टी.) दिवाला संख्या 35 में पारित दिनांक 13.01.2022 के निर्णय और आदेश पर सवाल उठाना चाहता है, जिसके तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद 5 द्वारा वर्ष 2021 की आई. ए. संख्या 367 में सी. पी. संख्या (आई. बी.) 349/ए. एल. डी. 2018 में पारित दिनांक 13.12.2021 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के अनुरोध को अपनी दिनांकित 22.10.2021 की समाधान योजना में संशोधन करने के लिए मंजूरी दे दी, लेकिन साथ ही, अन्य प्रस्ताव आवेदक को भी

अपनी समाधान योजना में कोई भी संशोधन लेनदारों की समिति 6 के समक्ष रखने की अनुमति दी।

जी.

1 इसके बाद इसे "कोड" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

2 अपीलार्थी के नेतृत्व में एक संघ (जिसमें एक निजी लिमिटेड कंपनी और स्वयं अपीलार्थी शामिल हैं) समाधान आवेदक रहा है।

3 'सी. आई. आर. पी. ', संक्षेप में।

4 इसके बाद इसे 'एन. सी. एल. ए. टी.' या 'अपीलीय न्यायाधिकरण' भी कहा जाता है।5 इसके बाद इसे 'एन. सी. एल. टी.' या 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' भी कहा जाता है।6 'सीओसी ', संक्षेप में।

एच.

अनावश्यक विवरणों के अभाव में, वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू यह है कि विचाराधीन सी. आई. आर. पी. के संबंध में, दो समाधान आवेदक थे, अपीलार्थी के नेतृत्व में संघ उनमें से एक था।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और अन्य समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाओं पर सी. ओ. सी. में विचार-विमर्श किया गया था और दिनांक आई. डी. 1 की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त में सी. ओ. सी. ने निम्नलिखित शब्दों में दो समाधान योजनाओं के संबंध में अपने विचार-विमर्श/टिप्पणियों का संकेत दिया:

"इस स्तर पर, समाधान आवेदक के प्रतिनिधि, अर्थात् सिरियस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को सिरियस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया था और विचार-विमर्श के दौरान, दोषों/तकनीकी कठिनाई को इंगित किया गया था और उसके बाद, समाधान आवेदक के प्रतिनिधि, अर्थात् सिरियस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने आश्वासन दिया कि सभी दोषों को यथासंभव और सी. ओ. सी. और समाधान पेशेवर की संतुष्टि के लिए दूर किया जाएगा।बैठक के किसी अन्य प्रतिभागी द्वारा आगे कोई आपत्ति/मुद्दे नहीं उठाए गए और तदनुसार, समाधान आवेदक के प्रतिनिधि, अर्थात्, सिरियस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद बैठक से चले गए।

इस स्तर पर, समाधान आवेदक के प्रतिनिधि, अर्थात् प्रभात वेयरहाउस एंड कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड के संघ और श्री अजय गुप्ता को प्रभात वेयरहाउस एंड कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड और श्री अजय गुप्ता के संघ द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया था और विचार-विमर्श के दौरान, दोषों/तकनीकी कठिनाइयों को इंगित किया गया था और उसके बाद, समाधान आवेदक के प्रतिनिधि, अर्थात् प्रभात वेयरहाउस एंड कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड के संघ और श्री अजय गुप्ता ने आश्वासन दिया कि सभी दोषों को यथासंभव दूर किया जाएगा और सी. ओ. सी. और समाधान पेशेवर की संतुष्टि के लिए बैठक कक्ष छोड़ दिया जाएगा।बैठक के किसी अन्य प्रतिभागी द्वारा आगे कोई आपत्ति/मुद्दे नहीं उठाए गए और तदनुसार, उक्त प्रस्ताव आवेदक के प्रतिनिधि इसके बाद बैठक से चले गए।”

जी.

सी. ओ. सी. के उपरोक्त विचार-विमर्श/टिप्पणियों के बाद, अपीलार्थी ने दिनांक 18.11.2021 का एक संचार भेजा और उसके साथ तथाकथित 'समाधान योजना के संबंध में स्पष्टीकरण' में दिनांकित 17.11.2021 का अपना हलफनामा संलग्न किया। 17.11.2021 दिनांकित इस हलफनामे की सामग्री नीचे दी गई हैः- ए.

एच.

199

अजय गुप्ता बनाम प्रमोद कुमार शर्मा [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

“ए. एफ. एफ. आई. डी. एविट

मैं, अजय गुप्ता, प्रभात वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक और अजय गुप्ता की ओर से, जो एक संघ का गठन करते हैं और उक्त संघ का प्रमुख सदस्य होने के नाते, निम्नलिखित रूप से पुष्टि करता हूंः

1. प्रभात वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और अजय गुप्ता के संघ ने 27 सितंबर, 2021 को एक समाधान योजना प्रस्तुत की है, जिसे 22 अक्टूबर, 2021 को समाधान योजना के माध्यम से और संशोधित किया गया था। संशोधित समाधान योजना में भुगतान अनुसूची और निगमित देनदार के समाधान का उल्लेख किया गया है, जिसका हम जल्द से जल्द सम्मान करेंगे।

2. कि संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करते समय, मैं कॉर्पोरेट देनदार के समाधान की प्रक्रिया में शामिल मुकदमों के बारे में कुछ आशंकाओं में था, लेकिन अब संघ की ओर से कानूनी सलाह लेने के बाद, यह बताता हूं कि समाधान योजना के तहत भुगतान की राशि रु। आई. डी. 1 करोड़ वही रहेगा और इसमें संशोधन नहीं किया जा रहा है, हालांकि मैं अग्रिम भुगतान करने का अपना संकेत दे रहा हूं, अगर बैंक हमारी समाधान योजना को मंजूरी देने वाले माननीय एन. सी. एल. टी. के आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर इसकी अनुमति देता है, क्योंकि मैं समाधान राशि की अग्रिम राशि के भुगतान पर कॉर्पोरेट देनदार का कब्जा ले लूंगा। 16.10 करोड़।

3. समाधान योजना के तहत अग्रिम राशि का हमारा भुगतान किसी भी तरह से योजना को संशोधित करने वाला नहीं है और मैं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए यह हलफनामा जमा कर रहा हूं।"

ऐसा प्रतीत होता है कि समाधान योजना के ऐसे संशोधन/संशोधन के लिए अपीलार्थी के प्रस्ताव को समाधान पेशेवर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।इसके बाद, अपीलार्थी ने सी. पी. सं. 21 में आई. ए. सं. 367 दाखिल करके न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क किया। (आईबी) 349/एएलडी/2018।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया और अपीलार्थी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए दिनांक 1 का आदेश पारित किया, लेकिन साथ ही, अन्य प्रस्ताव आवेदक को अपनी प्रस्तुत समाधान योजना में कोई भी संशोधन सी. ओ. सी. के समक्ष रखने की अनुमति दी ताकि समान अवसर प्रदान किया जा सके।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित दिनांकित 13.12.2021 आदेश निम्नानुसार हैः-

जी.

एच.

"आई. ए. नं. 367/2021 एल. डी. उपस्थित आवेदक के लिए अधिवक्ता।एल. डी. सी. ओ. सी. के अधिवक्ता उपस्थित हैं।एल. डी. आर. पी. के अधिवक्ता उपस्थित हैं।एल. डी. अन्य

समाधान आवेदक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी योजना पर भी सी. ओ. सी. द्वारा विचार किया जा रहा है।

यह समाधान आवेदक में से एक द्वारा दायर एक आवेदन है जिसमें आवेदक द्वारा निम्नलिखित संशोधन करने के लिए प्रस्तुत अंतिम समाधान योजना दिनांक 22.10.2021 में संशोधन करने की मांग की गई है:-

(क) उसमें बताई गई शर्तों पर सी. आई. आर. पी. लागतों को उजागर करना;

(ख) योजना की अवधि को 180 दिनों से घटाकर 90 दिन करना।

इस समय, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि सी. आई. आर. पी. अवधि 06.01.2022 पर समाप्त हो जाएगी और समाधान योजनाओं पर निर्णय पहले सी. ओ. सी. द्वारा और उसके बाद इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा।

इसलिए, न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि हम आवेदक को विचार के लिए सी. ओ. सी. के एकमात्र सदस्य को संबोधित आवरण पत्र के साथ पृष्ठ संख्या 290 से 298 पर शपथ पत्र रखने का निर्देश देते हैं।चूँकि हम समान अवसर को बाधित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जिन अन्य समाधान आवेदकों की योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है, उन्हें भी अपनी प्रस्तुत समाधान योजना में किसी भी संशोधन को सी. ओ. सी. के समक्ष विचार के लिए रखने की अनुमति दी जाएगी।इस तरह के संशोधनों के बारे में अब से 48 घंटे बाद सी. ओ. सी. को सूचित किया जाएगा।

तदनुसार, आई. ए. सं. 367/2021 का निपटान किया जाता है।”

इसके बाद, सी. ओ. सी. द्वारा 21/22.12.2021 पर समाधान योजनाओं पर विचार किया गया और अन्य समाधान आवेदक की योजना को मंजूरी दी गई।दूसरी ओर, अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 1 के उक्त आदेश पर सवाल उठाने का प्रयास किया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की इस शिकायत पर ध्यान दिया कि उसकी समाधान योजना के बारे में सभी को पता चल गया है और इसलिए दूसरों को इसमें संशोधन करने का कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए था।

जी.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह विचार रखते हुए उन प्रस्तुतियों में कोई सार नहीं पाया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने विवादित आदेश पारित किया था ताकि समान अवसर बनाए रखा जा सके।अपीलीय ए

एच.

201

अजय गुप्ता बनाम प्रमोद कुमार शर्मा [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि समाधान योजनाओं पर सी. ओ. सी. द्वारा 21.12.2021 पर पहले ही विचार किया जा चुका था।

हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि इससे पहले, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 के उक्त आदेश पर कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक द्वारा हमारे समक्ष सवाल उठाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन हमने उक्त अपीलार्थी को अपना अधिकार देने से इनकार कर दिया और इसलिए, उक्त अपील। 2022 का संख्या 2729] को खारिज कर दिया गया था, जबकि हमारे आदेश दिनांक 07.02.2022 द्वारा अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अब, अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांकित 13.01.2022 के उक्त आदेश पर असफल समाधान आवेदक द्वारा सवाल उठाए जाने की मांग की गई है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमें समाधान पेशेवर द्वारा जारी समाधान योजना 7 के लिए अनुरोध की प्रासंगिक सामग्री के साथ-साथ सी. ओ. सी. की बैठक के कार्यवृत्त और अपीलार्थी द्वारा दायर हलफनामे के बारे में भी जानकारी दी है।विद्वान अधिवक्ता दृढ़ता से तर्क देंगे कि जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, यह समाधान योजना में संशोधन का मामला नहीं था क्योंकि आर. एफ. आर. पी. की शर्तों के तहत इस तरह के संशोधन की अनुमति भी नहीं थी; और दिनांकित हलफनामे के माध्यम से अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ केवल सी. ओ. सी. की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थीं, जैसा कि दिनांकित बैठक के कार्यवृत्त में परिलक्षित होता है और इस तरह के प्रस्ताव के लिए, अन्य समाधान आवेदक को अपनी समाधान योजना में संशोधन करने के लिए कोई स्वतंत्रता देने में कोई औचित्य नहीं था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलार्थी इस मामले में इस कारण से पूर्वाग्रह से ग्रस्त था कि उसकी समाधान योजना की शर्तों के बारे में दूसरे समाधान आवेदक को तब पता चला जब न्यायिक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2021 का आदेश पारित करते समय मामले की जांच की गई थी।

हम उपरोक्त प्रस्तुतियों को हस्तक्षेप का मामला नहीं पाते हैं।यह सरल कारण है कि दिनांकित 13.12.2021 आदेश के अवलोकन पर, इतना स्पष्ट है कि समाधान योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं/शर्तों को अपीलार्थी द्वारा संशोधित करने की मांग की गई थी।चाहे यह सी. ओ. सी. की आवश्यकता के जवाब में किया गया था या अन्यथा, मामले का तथ्य यह है कि अपीलार्थी की समाधान योजना की प्रासंगिक शर्तों में संशोधन होने वाला था।जब स्वयं अपीलार्थी के अनुरोध पर इसकी अनुमति दी जा रही थी, तो हम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक आदेश पारित करने में दोष नहीं पा सकते हैं ताकि संबंधित पक्षों की स्थिति को संतुलित किया जा सके और प्रावधान किया जा सके

जी.

7 'आर. एफ. आर. पी. ', संक्षेप में।

एच.

अन्य समाधान आवेदक को सी. ओ. सी. के विचार के लिए अपने संशोधन को रखने के लिए संबंधित अनुमति देकर समान अवसर प्रदान करना। जहाँ तक आई. डी. 1 दिनांकित शपथपत्र का संबंध है, हालाँकि अपीलार्थी ने इसके पैराग्राफ 3 में कहा कि समाधान योजना के तहत अग्रिम राशि का भुगतान किसी भी तरह से योजना को संशोधित करने वाला नहीं था, बल्कि यह केवल अपीलार्थी की समझ की अभिव्यक्ति थी कि उसके द्वारा रखे गए प्रस्तावों के कानूनी प्रभाव के बारे में, जिसमें योजना की अवधि को 180 दिनों से 90 दिनों तक संशोधित करना शामिल था।इस तरह के प्रस्ताव को औपचारिक या हानिरहित या बिना किसी भौतिक असर के नहीं माना जा सकता था।

जहाँ तक योजना की सामग्री के प्रकटीकरण से संबंधित कारक का संबंध है, वही अपीलार्थी को स्वयं बनाने के बारे में था।यदि अपीलार्थी ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अपनी समाधान योजना की शर्तों का खुलासा/खुलासा करने का विकल्प चुना था, तो समाधान पेशेवर या सी. ओ. सी. या अन्य समाधान आवेदक की ओर से कोई गलती नहीं थी।

इस प्रकार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित और ठोस प्रतीत होता है, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है।

इस मामले पर निष्कर्ष निकालने से पहले, हमें इस मामले से संबंधित दो अन्य प्रासंगिक कारकों का संकेत देने की आवश्यकता है।एक यह है कि दूसरा समाधान आवेदक, जिसकी समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, हमारे सामने नहीं है और इस अपील में एक पक्ष प्रत्यर्थी के रूप में शामिल नहीं किया गया है।इसलिए, इस अपील में सफल समाधान आवेदक के हित के लिए प्रतिकूल कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।दूसरा, फिर भी मामले को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी और उस मामले के लिए, हमें सूचित किया जाता है कि लेनदारों की समिति की मंजूरी पहले ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखी जा चुकी है।

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए, इस अपील में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, हम मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा जांच के लिए खुला छोड़ते हैं, लेकिन सख्ती से कानून के अनुसार।

जी.

पूर्वगामी टिप्पणियों के अधीन, यह अपील खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

एच.